फार्म – डी

न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) (पीठासीन अधिकारी – जितेन्द्र कुमार ठाकुर)	
[निर्णय दिनांक – 03/05/2023] [दा.प्र.क्र.– 1576/2022] [सी.एन.आर. क्र. – CGJC02001906/2022] [आबकारी वृत्त पामगढ़ अपराध क्रमांक– 43/2022]	
शिकायतकर्ता	**छत्तीसगढ़ शासन द्वारा–आबकारी वृत्त पामगढ़ जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)**
प्रतिनिधित्वकर्ता	**श्री वाय.आर. जायसवाल (ए.डी.पी.ओ.)**
अभियुक्त	**शिरोमणी पिता दिनदयाल उम्र–37 वर्ष, साकिन–मेउभाठा वार्ड नं. 20, थाना–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)**
प्रतिनिधित्वकर्ता	**सुश्री शकुन्तला भारद्वाज (अधिवक्ता)**

फार्म – ई

घटना दिनांक	29/06/2022
प्रथम सूचना दिनांक	29/06/2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	18/10/2022
आरोप विरचित करने की तिथि	21/12/2022
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	22/02/2023
निर्णय हेतु प्रकरण सुरक्षित रखने की तिथि	–
निर्णय दिनांक	03/05/2023
सजा आदेश की तिथि यदि कोई हो	–

CNR No.–CGJC02001906/2022
दां०प्र०क्र०–1576/2022
शासन विरुद्ध शिरोमणी सूर्यवंशी

अभियुक्त विवरण

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा होने की तिथि	अपराध का आरोप	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दी गई सजा	धारा 428 दप्रसं. के तहत प्रकरण के लंबनकाल के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
1.	शिरोमणी सूर्यवंशी	29.06.22	22.07.22	आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)	दोषमुक्त	–	दि.–29.06.2022 से दि.–22.07.2022 तक

फार्म – एफ

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	निर्णय का शीर्षक	1 से 2
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3	आरोप	3
4	स्वीकृत तथ्य	–
5	अभियोजन की कहानी	3 से 4
6	आरोपी का बयान	5
7	अवधारणीय प्रश्न	5 से 6
8	कारण और निष्कर्ष	6 से 9
9	दण्डादेश	–
10	अभिरक्षा में बिताई गई अवधि	11
11	संपत्ति का निराकरण	10
12	प्रतिकर का आदेश	–
13	द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र	–
14	दण्डादेश सुपुर्दगी का वारंट (कारावास / अर्थदण्ड	–
15	निर्णय की प्रति	1

// निर्णय //

(आज दिनांक–03/05/2023 को घोषित)

01– अभियुक्त के विरुद्ध छ०ग० आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 29/06/2022 को समय 09:40 बजे स्थान– वार्ड नं. 20 मेउभाठा, थाना पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (छ०ग०) में छ०ग० आबकारी अधिनियम के उपबंध, उसके अधीन बनाए गए नियम, जारी की गयी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश या अधिनियम के अधीन मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति, अनुपालन या पास की शर्त के उल्लंघन में पांच नग 10 लीटर क्षमता वाली सफेद प्लास्टिक जरीकेन में 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर, 08 लीटर कुल 48 लीटर हाथभट्ठी महुआ शराब, जो 05 बल्क लीटर से अधिक है, को परिवहन, संग्रहण या आधिपत्य में रखा।

02– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आबकारी उपनिरीक्षक मनोज राठौर को दिनांक 29/06/2022 को ग्राम मेउभांठा में मुखबिर के जरिए अभियुक्त द्वारा अत्यधिक मात्रा में शराब रखे जाने की सूचना पर मुखबीर सूचना एवं सर्च वारंट न ले पाने का पंचनामा तैयार कर गवाह प्रताव एवं विनोद को कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए द.प्र.सं. की धारा 160 का

नोटिस दिया जाकर उक्त गवाहों के समक्ष तलाशी के पूर्व जामातलाशी पंचनामा तैयार किया गया, तत्पश्चात गवाहों के समक्ष अभियुक्त की तलाशी लिये जाने पर अभियुक्त के रिहायसी मकान से पांच नग 10 लीटर क्षमता वाली सफेद प्लास्टिक जरीकेन में भरा कुल मात्रा 48 लीटर तरल द्रव मिला।

03– मौके पर बरामद तरल द्रव्य की जांच गवाह के समक्ष करने पर द्रव्य रंगहीन, सूंघने पर हाथभट्टी शराब की गंध वाला, लिटमस पेपर डालने पर हल्का गुलाबी होना तथा हाईड्रोमीटर व थर्मामीटर की तेजी 66.3 डिग्री यूपी पाये जाने पर उक्त गवाहों के समक्ष सीलबंद किया गया एवं अभियुक्त के आधिपत्य में उक्त शराब होने के कारण उसके द्वारा गवाह के समक्ष उक्त शराब जप्त किया गया, अभियुक्त को छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त की पत्नी को दिया गया, गवाहों के समक्ष मकान आधिपत्य पंचनामा एवं मौके पर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक –43/2022 छ०ग० आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 18/10/2022 को अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

04- अभियुक्त को छ०ग० आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) का आरोप पढकर सुनाये-समझाये जाने पर अभियुक्त के द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया एवं मामले में विचारण चाहा गया।

05- अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अभियुक्त कथन तैयार कर परीक्षण किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाये जाने का कथन किया है, अभियुक्त से बचाव साक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

06- **विचारणीय बिन्दु -**

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 29/06/2022 को समय 09:40 बजे स्थान- वार्ड नं. 20 मेउभाठा, थाना पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा (छ०ग०) में छ०ग० आबकारी अधिनियम के उपबंध, उसके अधीन बनाए गए नियम, जारी की गयी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश या अधिनियम के अधीन मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति, अनुपालन या पास की शर्त के उल्लंघन में पांच नग 10 लीटर क्षमता वाली सफेद प्लास्टिक जरीकेन में 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर, 08 लीटर कुल 48

लीटर हाथभट्ठी महुआ शराब, जो 05 बल्क लीटर से अधिक है, को परिवहन, संग्रहण या आधिपत्य में रखा ?

– // सकारण निष्कर्ष //–

07– अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षीगण विनोद चौहन (अ.सा. 1), प्रताप कुमार रात्रे (अ.सा. 2) एवं आबकारी उपनिरीक्षक मनोज राठौर (अ.सा. 3) का परीक्षण कराया गया है।

08– विवेचना अधिकारी आबकारी उपनिरीक्षक **मनोज राठौर (अ.सा. 3)** ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि आबकारी वृत्त शिवरीनारायण पदस्थापना के दौरान दिनांक 29/06/2021 को ग्राम मेउभाठा में मुखबीर के जरिए अभियुक्त द्वारा अत्यधिक मात्रा में शराब रखे जाने की सूचना पर मुखबीर सूचना एवं सर्च वारंट न ले पाने का पंचनामा (प्र.पी. 1) गवाह विनोद चौहान (अ.सा. 1) एवं प्रताप कुमार रात्रे (अ.सा. 2) के समक्ष तैयार कर उक्त गवाहों को कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए द.प्र.सं. की धारा 160 का नोटिस (प्र.पी. 2) देकर उक्त गवाहों के समक्ष तलाशी के पूर्व जामातलाशी पंचनामा (प्र.पी. 3) तैयार किया, तत्पश्चात गवाहों के समक्ष अभियुक्त की तलाशी

(प्र.पी. 4) लिये जाने पर अभियुक्त के रिहायसी मकान से पांच नग दस लीटर क्षमता के सफेद जरीकेन में भरा कुल 48 लीटर तरल द्रव मिला।

09– विवेचना अधिकारी के अग्र कथनानुसार मौके पर अभियुक्त से बरामद तरल द्रव्य की जांच (प्र.पी. 5) गवाह के समक्ष करने पर द्रव्य रंगहीन, सूंघने पर हाथभट्टी शराब की गंध वाला, लिटमस पेपर डालने पर हल्का गुलाबी होना तथा हाईड्रोमीटर व थर्मामीटर की तेजी 66.3 डिग्री यूपी पाये जाने पर उक्त गवाह के समक्ष सील पेपर पंचनामा (प्र.पी. 6) तैयार किया एवं अभियुक्त के आधिपत्य में उक्त शराब होने के कारण उसने गवाह के समक्ष उक्त शराब जप्त (प्र.पी. 7) किया, अभियुक्त को छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत गिरफ्तार (प्र.पी. 8) कर गिरफ्तारी की सूचना (प्र.पी. 9) अभियुक्त की पत्नी सीमा को दिया, गवाहों के समक्ष मकान आधिपत्य पंचनामा (प्र.पी. 10) एवं मौके पर घटनास्थल का नजरी नक्शा (प्र.पी. 11) तैयार किया, गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। साक्षी की प्रतिपरीक्षण में स्वीकारोक्ति प्राप्त है कि मकान आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेज जप्त नहीं किया गया है, गस्ती शासकीय वाहन के तलाशी के कागजात पेश नहीं है और

न ही पृथक से वाहन तलाशी पंचनामा तैयार किया गया है एवं प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही उसके द्वारा की गयी है।

10– अभियोजन मामले के स्वतंत्र साक्षीगण **विनोद चौहान (अ.सा. 1) एवं प्रताप कुमार रात्रे (अ.सा. 2)** ने अपने–अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किये हैं, उपरोक्त साक्षीगण ने अपने–अपने अभिसाक्ष्य में उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आबकारी पुलिस वाले उनके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किये थे, वे आबकारी पुलिस के कहने पर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे, हस्ताक्षर क्यों करवाये थे कारण नहीं बताये थे, का कथन किये हैं। अभियोजन द्वारा प्रश्न किये जाने पर उपरोक्त साक्षीगण ने इंकार किये हैं कि दिनांक 29.06.2022 को अभियुक्त के रिहायशी मकान के छत से पांच नग दस लीटर क्षमता वाली सफेद प्लास्टिक जरीकेन में भरी कुल मात्रा 48 लीटर हाथभट्ठी महुआ शराब को पुलिस उनके समक्ष जप्त किए थे एवं प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त साक्षीगण ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किये हैं कि पुलिस वाले उनके समक्ष काई लिखा –पढ़ी नहीं किये थे, उनके बहुत सारे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे।

11– प्रकरण के अभियोजन की ओर से प्रस्तुत संलग्न दस्तावेज, साक्षियों के कथन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में

प्राप्त साक्ष्य के सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किये गये। उपरोक्तानुसार साक्ष्य विवेचना से यह प्रकट होता है कि मामले के प्रथम सूचनाकर्ता, जप्तीकर्ता अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी की कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक मनोज राठौर (अ.सा. 3) के द्वारा किया गया है, विवेचनाक्रम में गस्ती शासकीय वाहन की जामातलाशी नहीं देना, घटना/जप्ती स्थल अभियुक्त के स्वामित्व में होने के संबंध में कोई राजस्व दस्तावेज पेश नहीं होना , जप्तशुदा द्रव्य पदार्थ को सीलबंद कर मालखाने में सुरक्षार्थ रखने एवं जप्त तरल द्रव्य का माप पंचनामा तैयार कर पेश नहीं किया जाना दर्शित है एवं विवेचना अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण विनोद चौहान (अ.सा. 1) एवं प्रताप कुमार रात्रे (अ.सा. 2) के द्वारा नहीं किये जाने से अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध छ०ग० आबकारी अधिनियम के उपबंध, उसके अधीन बनाए गए नियम, जारी की गयी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश या अधिनियम के अधीन मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति, अनुपालन या पास की शर्त के उल्लंघन में पांच नग 10 लीटर क्षमता वाली सफेद प्लास्टिक जरीकेन में 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर, 08 लीटर कुल 48 लीटर हाथभट्ठी महुआ शराब, जो 05 बल्क लीटर से अधिक है, को परिवहन, संग्रहण या आधिपत्य में रखने का अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे **साबित** करने में **असफल** रहा है।

12– उपरोक्तानुसार साक्ष्य विवेचना से अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अपराध में दोषमुक्त कर स्वतंत्र घोषित किया जाता है।

13– अभियुक्त का जमानत मुचलका बंधपत्र भारमुक्त किए गए। अभियुक्त द्वारा धारा 437(क) द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत बंधपत्र 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

14– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति– पांच नग 10 लीटर क्षमता वाली सफेद प्लास्टिक जरीकेन में 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर, 08 लीटर कुल 48 लीटर हाथभट्ठी महुआ शराब, महत्वहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्त संपत्ति का निराकरण किया जावे।

15– प्रकरण में अभियुक्त की बिताई गई अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र पृथक से पृष्ठ भाग में तैयार किया गया।

JITENDRA KUMAR THAKUR
Digitally signed by JITENDRA KUMAR THAKUR

स्थान–जांजगीर
दिनांक–03/05/2023

(जितेन्द्र कुमार ठाकुर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिलाः जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

CNR No.–CGJC02001906/2022
दां०प्र०क्र०–1576/2022
शासन विरुद्ध शिरोमणी सूर्यवंशी

// अभिरक्षा अवधि प्रमाण पत्र //

अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा में भेजन की तिथि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	निर्णय / परिणाम
शिरोमणी सूर्यवंशी	दिनांक 29.06.2022	दिनांक 29.06.2022	दिनांक 29.06.2022 से दिनांक 22.07.2022 तक	दोषमुक्त

JITENDRA KUMAR THAKUR
Digitally signed by JITENDRA KUMAR THAKUR

(जितेन्द्र कुमार ठाकुर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिलाः जांजगीर–चांपा (छ.ग.)